का पक्ष दो।

नोटिस

पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। आवेदन लगाई गई। उपस्थित नहीं सार। स्वयं प्रार्थी भी अनुपस्थित है। प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई की तलबी हेतु अनेकों अवसर दिए जा चुके हैं। प्रकरण में गत आदेश द्वारा मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में कोर्ट विधि से साक्ष्य प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई थी। प्रस्तुत नहीं किए हैं। न ही अनुपस्थित की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश किया है। प्रतीत होता है कि प्रार्थी की प्रकरण चलाने में रुचि शेष नहीं है अतः प्रार्थना पत्र इसी सार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल में मूल प्रति रखी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:25:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner